



OPEN SERIES MAP  
G44W13  
Scale 1:50,000

PLOTTER PRINT  
SURVEY OF INDIA  
02450

CONVENTIONAL SYMBOLS

1:50,000



भाग - 2  
सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

7-	प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का स्थान	वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (SH-5ए) के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण कार्य एवं विद्युत लाइन शिफ्टिंग होने में बाधक पोलो को हटाये जाने हेतु प्रस्ताव
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर (Km 5.050 से Km 10.050 तक)
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	9.00है० ( संरक्षित वनभूमि 9.00 है०)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एल एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए।	संलग्न है। <i>प्रधानीय वन्यजीविकरी मीरजापुर - वन प्रभाग</i> <i>व. वाराणसी</i>
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	यह भू-भाग भूक्षरण हेतु संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वन सीमा के अन्तर्गत
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोरी आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां) अनुबन्धित की जाय।	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में वनीकरण सहित वन भूमि (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम हैं तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	